भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *353
उत्तर देने की तारीख 18.08.2025

पारंपरिक शिल्पों की व्यावसायिक व्यवहार्यता

***353. श्रीमती भारती पारधी :**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पारंपरिक शिल्पों की व्यावसायिक व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ किस प्रकार कार्य कर रही है;
(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण समुदायों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उससे उत्पन्न आजीविका के अवसरों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों या आउटरीच कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की उक्त मिशन के अंतर्गत सांस्कृतिक साक्षरता और संवर्धन का सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) प्रशिक्षण मॉड्यूल में समावेश करने की कोई योजना है ताकि निचले स्तर पर सांस्कृतिक प्रतिभाओं की पहचान की जा सके और उनका पोषण किया जा सके;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) इस मिशन से संबद्ध स्व-सहायता समूहों द्वारा की गई सांस्कृतिक संवर्धन संबंधी पहलों के प्रभाव की निगरानी हेतु स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्रभावों का दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पारंपरिक शिल्पों की व्यावसायिक व्यवहार्यता' के संबंध में दिनांक 18 अगस्त, 2025 को माननीय संसद सदस्यों श्रीमती भारती पारधी और श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *353 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में एकजुट करना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आमदनी में सुधार कर सकें और बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकें। डीएवाई-एनआरएलएम 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30 जून, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, यह मिशन 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों के 7145 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख से अधिक एसएचजी में संगठित किया गया है।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, गैर-कृषि आजीविकाएं ग्रामीण समुदायों के लिए विविध अवसर प्रदान करती हैं, जिससे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के अलावा भी आर्थिक मजबूती सुनिश्चित होगी। हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, लघु-स्तरीय विनिर्माण और सेवाओं जैसे सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से, एनआरएलएम व्यक्तियों को स्थायी आय के स्रोत सृजित करने के लिए सशक्त बनाता है। गैर-कृषि आजीविकाएँ मुख्य रूप से एसवीईपी समावेशी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं, जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं - सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), वन स्टॉप सुविधा (ओएसएफ), क्लस्टर आदि।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) सामुदायिक संस्थाओं को मज़बूत बनाने, आजीविका को बेहतर बनाने और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यनीतियों के रूप में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर बल देता है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यनीति संरचित, आवश्यकता-आधारित और समावेशी है, जिसमें जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक

के सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सामुदायिक संस्थाओं को मज़बूत बनाना, वित्तीय साक्षरता और अधिकारों तक पहुँच में सुधार करना, उद्यमशीलता कौशल को संवर्धित करना और आजीविका में विविधता लाना, जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से कमज़ोर समूहों का और अधिक समावेशन करना है।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सदस्यों, कैडरों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के बीच कौशल, ज्ञान और जागरूकता का निर्माण करना तथा वयस्कों की शिक्षा के लिए शिक्षण का उपयोग करते हुए संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों - एसएचजी, ग्राम संगठनों (वीओ), क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ), उत्पादक समूहों, उत्पादक उद्यमों/खाद्य उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाना है।

विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विभिन्न स्तरों- राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों जैसे संस्था निर्माण (आईबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), आजीविका (कृषि और गैर-कृषि), सामाजिक विकास और समावेशन, उद्यम विकास और मूल्य श्रृंखलाएँ आदि पर मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स भागीदारों के साथ गठजोड़ किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने क्रमश: फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेज़न सहेली पहल, मीशो और जियोमार्ट के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा सके। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) कार्यशील है। ई-सरस ओएनडीसी पर विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागी के रूप में भी लाइव है। महिला एसएचजी के क्यूरेट किए गए उत्पाद ओएनडीसी नेटवर्क के ऐप्स पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, पारंपरिक उत्पादों और वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा तैयार पारंपरिक शिल्पों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत सरस आजीविका मेला आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, असम, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश राज्यों ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहयोग देने के लिए वेबसाइट/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत क्लस्टर घटक, मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से कारीगरों और क्षेत्रीय समूहों को सहयोग प्रदान करते हैं। ये सभी प्रयास पारंपरिक कार्यकलापों और शिल्प संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख क्लस्टर कार्यकलापों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. उत्तर प्रदेश - दो क्लस्टरों- ज़री ज़रदोज़ी और थारू क्लस्टर को सहायता दी जा रही है। ये शिल्प बाज़ार का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं।
ii. छत्तीसगढ़ - छत्तीसगढ़ के धमतरी में, विशेष रूप से कपास और कोसा रेशम उत्पादों के एक हथकरघा बुनाई क्लस्टर को सहायता दी जा रही है, जो टिकाऊ फैशन बाजारों में पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और जैविक अपील के लिए मूल्यवान होते हैं।
iii. मध्य प्रदेश - यहां दो क्लस्टरों को सहायता दी जा रही है - डिंडोरी में हैंडलूम क्लस्टर, जिसे प्राकृतिक रंगों से बुनाई और जनजातीय पैटर्न के लिए जाना जाता है और जो पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों को आकर्षित करता है तथा शिवपुरी में जैकेट निर्माण, जिसमें जनजातीय डिजाइनों के साथ पारंपरिक हाथ से सिले जैकेट जातीय और फ्यूजन परिधानों में अपना विशेष स्थान बना रहे हैं।
iv. ओडिशा- संबलपुर में हथकरघा क्लस्टर और पुरी में एप्लिक क्लस्टर को सहायता प्रदान की जा रही है, जो इकत साड़ियों में अद्वितीय टाई-डाई और जीवंत सजावटी वस्त्रों के विकास में सहायता करता है।
v. गुजरात- दाहोद में जनजातीय मिट्टी के बर्तनों के क्लस्टर को समर्थन किया जाता है, जिसकी मांग शहरी घरों और निर्यात बाजारों, दोनों में है।
vi. महाराष्ट्र - कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर का समर्थन किया जाता है।

. झारखंड - गोड्डा और साहिबगंज में, तसर रेशम बुनाई का समर्थन करने वाला हथकरघा क्लस्टर, जिसका प्रीमियम वस्त्र निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है।

viii. कर्नाटक - बागलकोट में जूट उत्पादों हेतु सहायता दी जा रही है और रामनगर में लकड़ी के खिलौनों (जीआई टैग) के क्लस्टर को समर्थन दिया जा रहा है ।

ix राजस्थान - चमड़ा क्लस्टर को सहायता दी जा रही है, जो ऊंट के चमड़े के उत्पादों, जूतों और जटिल नक्काशी वाले सामान के लिए प्रसिद्ध है और फैशन तथा सजावट के बाजारों में इसकी मांग है।

x हिमाचल प्रदेश - कुल्लू, शिमला-सोलन में, कुल्लू शॉल और स्टोल को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम क्लस्टर को समर्थन दिया जाता है, जो जीवंत ज्यामितीय डिजाइनों के लिए जाना जाता है और इसका पर्यटन और निर्यात मूल्य भी अधिक है।

(ख): देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु, भारत सरकार ने मुख्यालयों के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं।

ग्रामीण समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत और आजीविका के अवसरों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दूर-दराज के क्षेत्रों में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जिनमें बोल बम, बिरहा उत्सव, जनजातीय उत्सव, सीमांचल यात्रा, धरोहर-श्रृंखला कार्यक्रम, आदिवासी नृत्य महोत्सव, लोक कला यात्रा, पारंपरिक मेला, लोक नृत्य भारत भारती, गुरु शिष्य परंपरा, नाचने वाली गुड़िया बनाने की कार्यशाला, सूर्य प्रकाश कला, भारत को जानो, सीमा क्षेत्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, लोक नृत्य कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

संस्कृति मंत्रालय इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) का भी आयोजन करता है जहाँ पूरे भारत से बड़ी संख्या में कारीगर आते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित करते हैं। नवंबर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा चौदह (14) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और चार (04) क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1618 कारीगरों ने भाग लिया। इसके अलावा,

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ-2025 के दौरान कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक ग्राम की स्थापना की थी, जिसके प्रांगणों में 98 कारीगरों ने 45 दिनों की अवधि में 48.26 लाख रुपए मूल्य के पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद बेचे।

(ग) और (घ):ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ड.): वर्तमान में, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, एनआरएलएम से संबद्ध स्वयं सहायता समूहों द्वारा की गई सांस्कृतिक संवर्धन पहलों के प्रभाव की निगरानी के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम गतिविधियों के समग्र कार्यान्वयन पर नज़र रखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र विकसित किए हैं:

एमआईएस डेटा के माध्यम से निगरानी: डीएवाई-एनआरएलएम में एक केंद्रीकृत एमआईएस है जिसमें ब्लॉक स्तर से ही डेटा प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध है। एमआईएस डेटा का उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।

राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास समितियों (एसआरएलएम) के साथ समीक्षा: सभी राज्यों के प्रशासन के वरिष्ठ स्तर पर कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। इससे लंबित मुद्दों या पिछड़ रहे क्षेत्रों को सामने लाने और उन पर कार्रवाई करने का अवसर मिलता है।

निष्पादन समीक्षा समिति: मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के दौरान वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (ग्रामीण विकास) के साथ कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षक, सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्रीय दौरों के बाद, निष्कर्षों/कमियों और सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।
